[illegible]

[illegible]

[illegible]

महत्वपूर्ण शर्तें

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय,
बेसिक शिक्षा अधिकारी,
[illegible] जनपद।

संख्या:- बेसिक/शिक्षा सम्बन्धित/[illegible]/[illegible] [illegible] दिनांक [illegible]

-कार्यालय ज्ञाप-

बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र [illegible] हेतु विभागीय कार्मिक कर्मचारी शिक्षक संगठनों के अनुरोधों/मांग पत्रों के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित/सम्बन्धित विभाग द्वारा शिक्षा जारी हेतु विभाग [illegible] की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में दिनांक [illegible] को बैठक हुई। बैठक में सत्र [illegible] हेतु प्रशासनिक एवं शिक्षकों की सम्बन्धित/पूर्व के लम्बित मांगपत्रों का सम्बन्धित विभाग/सम्बन्धित/परिषद स्तरीय पूर्ति/जारी हेतु सत्र [illegible] हेतु सम्बन्धित प्रकरण लिये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुपालन में सम्बन्धित समिति की बैठक के सत्र-[illegible] में पूर्व के सम्बन्ध विभागीय समिति सदस्यगण, कार्मिक शिक्षकों द्वारा उठाये गये प्रकरण तथा प्रकरण तथा। सम्बन्धित समिति द्वारा गठित विभाग-वार्ता का निम्नवत निर्णय लिया गया :-

परिषद के पूर्व के सम्बन्ध निर्णयों क्रम की कार्यवाही विभागों द्वारा एक/दो समिति सदस्यगण कार्यालय विभागों जारी हेतु अनुमोदित किया गया है, जो कार्यवाही समिति द्वारा विचार किया एवं द्वारा कार्य के समय एक/दो समिति सदस्यगणों को परिषद के सम्बन्धित प्रकरण विभागों जारी का निर्णय लिया गया कि समय का विभिन्न परिषद की विभिन्न समिति द्वारा कार्य किया जाने तथा विभिन्न समिति की अनुमति के अनुसार पर ही सम्बन्ध की एक/दो समिति सदस्यगण कार्यालय की अनुमति प्रदान की जाए।

अतः निम्नानुसार समिति कार्यालय को परिषद की विभिन्न समिति एवं विभाग-विभागों द्वारा की गयी अनुमति तथा सम्बन्धित समिति द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त समिति शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र [illegible] हेतु विभागीय कार्मिक के अधीन सदस्यगणों एवं कार्मिक समिति अधिकारी कार्यालय हेतु सम्बन्धित प्रकरण की जानी है :-

क्र० सं०	कार्मिक समिति एवं विभाग का नाम	सदस्यगण का नाम	[illegible] द्वारा सत्र [illegible] में अनुमोदित समिति सदस्य	[illegible]/परिषद द्वारा सत्र [illegible] में अनुमोदित समिति सदस्य
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बन्धित हेतु नोट

✓ सम्बन्ध [illegible]/[illegible] द्वारा विभागीय की जारी कार्यों का पूर्वोक्त पालन करायें।

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]
अधीक्षक

ज्ञापांक– अधीक्षक/अधीक्षक कारागृह/[illegible]/[illegible] [illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि–[illegible]/निदेशक, कारा [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]।

[illegible]
अधीक्षक

[illegible]

[illegible] शिक्षा परिषद्

[illegible]

संख्या- [illegible] लखनऊ [illegible] लखनऊ: दिनांक: [illegible]

(अशोक [illegible])

[illegible] शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली [illegible] [illegible], नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष [illegible] हेतु विभिन्न [illegible] संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/अस्थायी सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] की परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष [illegible] हेतु अशोधित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व में सम्बद्धित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/अस्थायी सम्बद्धता/अशोधित प्रवेश क्षमता वृद्धि/शोधित प्रवेश क्षमता पर विचार करते हुए वर्ष [illegible] हेतु सम्बद्धता/अस्थायी सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा वर्ष [illegible] हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता : [illegible] BABA SAHEB AMBEDKAR POLYTECHNIC, VILLAGE-NAGLA JHINGA, POST MIGRA MATHURA-281003

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] वर्ष [illegible] हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	[illegible] द्वारा वर्ष [illegible] हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
3	LEATHER TECHNOLOGY (TANNING)	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
6	P.G.DIPLOMA IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATION	60	60
7	P.G.DIPLOMA IN BIO TECHNOLOGY (TISSUE CULTURE)	60	60
8	P.G.DIPLOMA IN TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT	60	60
9	INDUSTRIAL SAFETY	60	60

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
		[illegible]	[illegible]
10	P.G.DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	60	60
11	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
12	P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
13	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60
14	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
15	P.G.DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, संशोधित विनियमावली 2006 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य नियोजन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन समिति द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु रूपा 30,000.00, प्रतिवर्ष, दो समिति स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु रूपा 40,000.00, प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो समिति पाठ्यक्रमों हेतु समिति स्वीकृत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रूपा 20,000.00, प्रतिवर्ष शुल्क की अग्रिम धनराशि के साथ किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों से शुल्क के माध्यम से प्रवेश/सत्र एवं सत्रान्त शुल्क निर्गत किये जाने वाले समस्त प्रमाणपत्र लगभग होंगे, और अनुपालन अभ्यर्थियों किया जाना अनिवार्य होगा। साथ नियोजन समिति द्वारा वर्ष सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पूर्णतया किया जाना है, वे प्रवेश की स्वीकृत दी जाती होगी।
- ✓ संस्था की [illegible] प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उत्तर प्राविधिक, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाना विनियमावली 2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य शर्तों का ही पालन किया जायेगा। योग्य के निकट एवं जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था की समस्त संस्था का निर्गत शासनादेश के अनुसार नियमित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था की [illegible] के अनुसार नियमित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यों एवं विभिन्न [illegible] एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यों एवं नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ नियमित शुल्क अनिवार्य पाठ्यक्रमों की संख्यात्मक सीट की ही जायें, यदि किसी के अनुमोदित प्रवेश करने के अवसर रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विभिन्न कारण के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की कोई शर्त शुल्क लिया जाता है तथा शुल्क वापस के संबंध में यह न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति अथवा निर्णय किया जाता है तो संस्था प्रतिकूल स्थिति संस्था की करनी होगी।
- ✓ नियमित शुल्क अनिवार्य पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं की संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश लेने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व नियमित/अनुमोदित प्रवेश का परिणाम कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश की उपयोगिता के सम्बन्ध में अपना संस्था स्वयं उत्तरदायी होगा, अनुपालन नहीं पाया जाने की स्थिति।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय हेतु निर्गत समीचीन आदेशों निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ योजना की लागत निकालकर उस योजना की समस्त मूलभूत सेवे योजना की निर्माणाधीन भूमि भूमि, सड़क, खाद्य भण्डार, उपकरण, लागत किराए वाले भवन मशीन, प्रत्यायोजन मूल्यांकन आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।

✓ योजना की निर्माण/क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त मानकानुसार उपलब्ध कराने के साथ वित्तीय रोकने के माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ योजना यह सुनिश्चित हो गई कि योजना में प्रस्तावित कार्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने हेतु निविदा आदि के माध्यम उपलब्ध कराने वाले अभियंता, भूमि/भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का पारि योजना मूल्य किसी अन्य राष्ट्रीयकृत के योजनाओं से प्रभावित किया जाता है और परिणाम की सुचनी कार्यवाही होगी है कि योजना उपलब्धता का मूल्य किसी अन्य कार्य के लिए कम नहीं है से मानकानुसार योजना की मानकानुसार मानकानुसार किये जाने की अनुमोदन की जायेगी।

✓ योजना के अन्तर्गत निर्माण/क्रय यदि योजना में भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य कार्यादि/उपकरण/मशीनरी/कम्प्यूटर/प्रिन्टर/लाईब्रेरी/लैब के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो योजना की मानकानुसार मानकानुसार कर ही जायेगी।

✓ मानकानुसार कार्यों का अनुमोदन न किये जाने अथवा कार्यों का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- सचिव/सचिव मानकीकरण/2021/2838-4400 दिनांक: 00/00/2021

प्रतिलिपि:-

प्राचार्य/कार्यालय BABA SAHEB AMBEDKAR POLYTECHNIC, VILLAGE KAGLA JHINGA, POST MHORA MATHURA-281001

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव